अध्याय

# 2

# लेखापरीक्षा दृष्टिकोण, पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा तथा वर्तमान लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संगठन

## 2.1 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

### 2.1.1 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नवम्बर 2011 में योजना की लेखापरीक्षा हेतु अनुरोध किया था। योजना के महत्व, वित्तीय परिव्यय तथा प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन किया गया था। लेखापरीक्षा दिशानिर्देश तैयार करने के पश्चात, 01 मई 2012 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक प्रवेश सम्मेलन किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली, क्षेत्र, उद्देश्यों तथा मापदण्डों पर चर्चा की गई, इसी के साथ निष्पादन लेखापरीक्षा आरम्भ की गई।

मनरेगस के कार्यान्वयन से संबंधित प्रक्रियाओं की मितव्ययिता, दक्षता तथा प्रभावकारिता का निर्धारण करने हेतु लेखापरीक्षा प्रकिया में ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) स्तर पर विभिन्न दस्तावेजों, प्रक्रियाओं और चुने हुए निर्माण कार्यों का निरीक्षण शामिल किया गया था। योजना के संबंध में अन्तिम उपभोक्ता की अनुभूति का पता लगाने हेतु तैयार एक प्रश्नावली की मदद में एक लाभार्थी सर्वेक्षण भी किया गया था। उसी समय पर लेखापरीक्षा ब्लाक, जिला तथा राज्य स्तर पर तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय पर की गई थी। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष एवं समेकन तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों के विश्लेषण के पश्चात 24 दिसंबर 2012 को ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय के एक दल के साथ एक निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें प्रारूप लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा अनुशंसाओं पर चर्चा की गई थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों के साथ भी निर्गम सम्मेलन भी किए गए थे जिनमें राज्य-विशिष्ट निष्कर्षों पर चर्चा की गई थीं।

### 2.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने हेतु प्रारम्भ की गई थी कि क्याः

- अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु संरचनात्मक तंत्र स्थापित किया गया है तथा केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त क्षमता निर्माण उपाय किए गए थे;
- कार्य हेतु अपेक्षित माँग का अनुमान लगाने हेतु विभिन्न स्तरों पर परिप्रेक्ष्य एवं वार्षिक योजना तैयार करने हेतु प्रक्रियाएं, तथा परियोजनाओं की शेल्फ तैयार करना पर्याप्त तथा प्रभावी था;
- केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निधियाँ अधिनियम और वर्तमान नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में जारी, दर्ज तथा उपयोग की गई थी;
- अधिनियम और नियमावली के अनुपालन में परिवारों के पंजीकरण, जॉब कार्डों के आबंटन तथा रोजगार के आवंटन की प्रक्रिया प्रभावी थी,

- आजीविका सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य को मांग करने पर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को 100 दिनों के वार्षिक रोजगार देकर प्रदान किया गया था, तथा मजदूरी जितनी घोषित की गई थी, उतनी अदा की गई थी;
- मनरेगस कार्यों को समयबद्ध तरीके तथा अधिनियम एवं नियमों के अनुपालन में दक्षता तथा प्रभावी रूप से निष्पादित किया गया था तथा स्थायी परिसम्पत्तियाँ का सृजन, अनुरक्षण तथा उचित रूप दर्ज किया गया था।
- योजना का अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ अभिसरण, जैसा कि परिकल्पित था, को मनरेगस योजना के अंतर्गत रोजगार अवसरों को बढ़ाने में प्रभावी रूप से प्राप्त किया गया था;
- विभिन्न स्तरों पर सभी अपेक्षित अभिलेखों का उचित रूप से अनुरक्षण किया गया था तथा मनरेगस सू.प्र.प्र. डाटा यर्थात विश्वसनीय तथा सामयिक था;
- कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर सभी पणधारियों को शामिल करके पादर्शिता बनाई गई थी; तथा
- प्रत्येक परिवार स्थानीय श्रमिक बाजार, प्रवसन चक्र तथा सृजित परिसम्पित्तियों की क्षमता पर मनरेगस के प्रभाव का निर्धारण करने हेतु केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर प्रभवी क्रिया तंत्र विद्यमान था।

### 2.1.3 लेखापरीक्षा मापदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मापदण्ड के मुख्य स्रोत थेः

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 (अधिनियम) तथा उसके संशोधन;
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भा.स., द्वारा जारी परिचालनात्मक दिशानिर्देश, 2006 तथा 2008;
- राष्ट्रीय रोजगार गांरटी (केन्द्रीय परिषद) नियमावली, 2006;
- राष्ट्रीय रोजगार गांरटी निधि नियमावली, 2006;
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना की लेखापरीक्षा नियमावली, 2011;
- योजना के संबंध में ग्रा.वि.मं. द्वारा जारी परिपत्र;
- राज्यों द्वारा आंतरिक मानीटरिंग हेतु दिशानिर्देश/जांचसूची; तथा
- राज्य सरकारों/स.शा.क्षे. द्वारा तैयार योजना नियमावली, दरों की अनुसूची तथा निष्पादन संकेतक।
- सामान्य वित्तीय नियमावली (स.वि.नि.), 2005।

### 2.1.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा नमूना

निष्पादन लेखापरीक्षा ने 28 राज्यों तथा चार संघ शासित क्षेत्रों में 2007-08 से 2011-12 तक योजना के अंतर्गत गतिविधियों को शामिल किया। नमूने का चयन अर्थात जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.), कार्य एवं लाभार्थी स्तर पर बहु-स्तर सांख्यिकीय नमूना तकनीक का उपयोग करके किया गया था। उपयोग की गई नमूना योजना को **चार्ट-6** में दर्शाया गया है।

### चार्ट-6: नमूना योजना

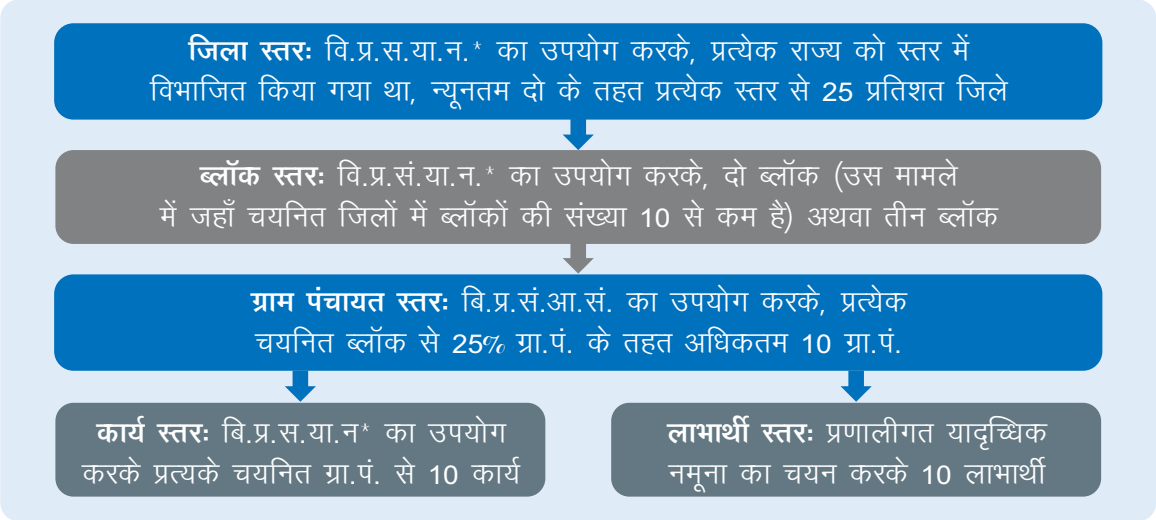


*वि.प्र.स.या.नः बिना प्रतिस्थापन सरल यादृच्छक नमूना

# बि.प्र.सं.आ.सं.* बिना प्रतिस्थापन संभावित आकार के समानुपात

परिणामतः नमूना योजना का कुल नमूना आकार निम्नानुसार थाः

- 28 राज्य तथा चार संघ शासित क्षेत्र;
- 182 जिले;
- चयनित जिलों के भीतर 458 ब्लॉक; तथा
- चयनित ब्लॉकों में 3,848 ग्रा.पं.[1]।

चयनित नमूने का ब्यौरे **अनुबंध-2क तथा 2ख** के रूप में संलग्न हैं। जिलों का विस्तार नीचे मानचित्र में किया गया है। नमूना योजना के अंतर्गत सलेटी रंग में दर्शाए गए जिलों का चयन किया गया था।

### मानचित्र 1: नमूना योजना के अंतर्गत चयनित जिले

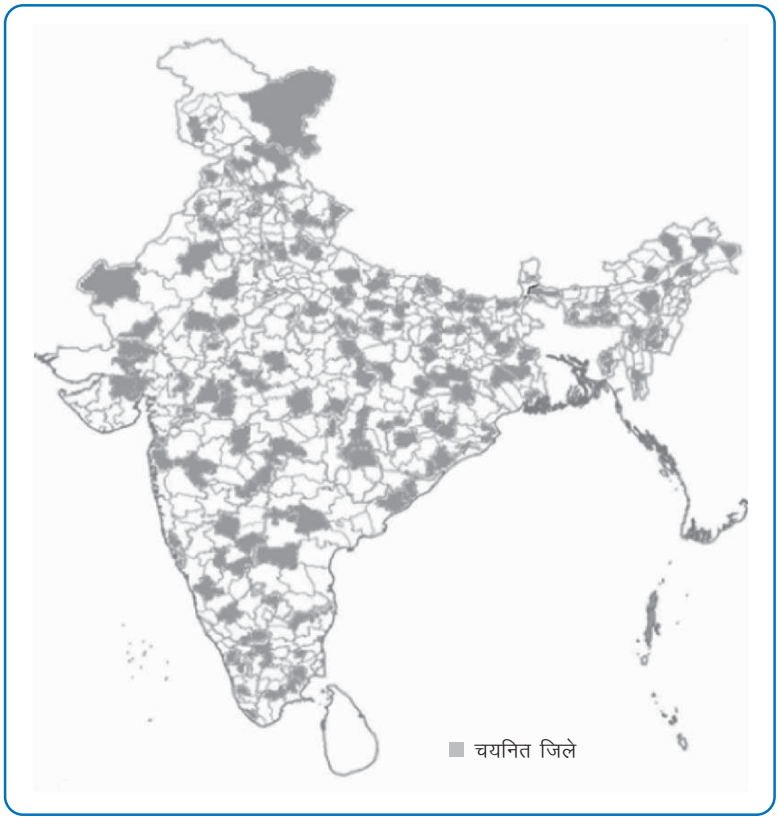


[1] नागालैण्ड में ग्राम विकास बोर्ड (ग्रा.वि.बो.), मिजोरम में गाम परिषद (ग्रा.प.) लक्षद्वीप में ग्राम द्वीप पंचायत (ग्रा.द्व.पं.) अन्य राज्यों में ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) के समकक्ष है।

## 2.2 पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्ष

फरवरी 2006 से मार्च 2007 तक की अवधि हेतु मनरेगस की निष्पादन लेखापरीक्षा 2007-08 में की गई थी तथा निष्कर्षों को 2008 की प्रतिवेदन सं. पी.ए. 11 (संघ सरकार-निष्पादन मूल्यांकन) के माध्यम से संसद को सूचित किया गया था। मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार थे:

- मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 3.81 करोड़ परिवारों को अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। इनमें से, जबकि 2.12 करोड़ परिवारों ने रोजगार की मांग की थी किन्तु 2006-07 के दौरान 2.10 करोड़ परिवारों का रोजगार प्रदान किया गया था। तथापि, मंत्रालय के आंकड़ों को बिल्कुल विश्वसनीय अथवा प्रमाणनीय नहीं कहा जा सकता क्योंकि विशेषरूप से ग्रा.पं.स्तर पर अनुरक्षित अभिलेख, अपर्याप्त था। कार्य हेतु मांग के केवल आंशिक अभिग्रहण की उच्च संभावना है।

- कार्य हेतु आवेदनों को प्राथमिक रूप से ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया जाना था यद्यपि कार्य हेतु आवेदनों को ब्लॉक के कार्यक्रम अधिकारी को भी प्रस्तुत किया जा सकता थ। इसके अतिरिक्त, 50 प्रतिशत कार्य ग्रा.पं. को आवंटित किया जाना था। इसलिए, माँग किए रोजगार, प्रदत्त रोजगार, सृजित रोजगार के दिनों की संख्या, रोजगार भत्ते की पात्रता आदि के उपयुक्त अभिलेखों का अनुरक्षण करना महत्पपूर्ण थ। यह पाया गया था कि ग्रा.पं. तथा ब्लॉक स्तरों पर मूल अभिलेखों का अनुरक्षण कमजोर था जिसके परिणामस्वरूप मांग किए रोजगार, प्रदत्त रोजगार, सृजित रोजगार के दिनों की संख्या, रोजगार भत्ते की पात्रता आदि के आंकड़ो की वास्तविकता को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। मस्टर रोल के अनुरक्षण में भी पर्याप्त कमियाँ पाई गई थी।

- जॉब कार्ड पर तस्वीरें, धोखा-धड़ी तथा दुर्विनियोजन के प्रति एक आवश्यक नियंत्रण प्रस्तुत करते है। जॉब कार्ड पर फोटोग्राफ चिपकाने में पर्याप्त विलम्ब थे।

- चूंकि कार्य हेतु माँग के आवेदनों को प्रलेखित अथवा दिनांकित नहीं किया, तथा अधिकतर मामलों में ऐसे आवेदनों हेतु दिनांकित प्राप्तियाँ जारी नहीं की गई थीं इसलिए इन मामलों में, बेरोजगारी भत्ते हेतु ग्रामीण परिवारों का पात्रता गैर-सत्यापनीय थी।

- मजदूरी के विलम्बित भुगतान के कई मामले थे, जिनके लिए कोई क्षतिपूर्ति अदा नहीं की गई थी। बेरोजगारी भत्ते के गैर भुगतान के भी उदाहरण थे जो रोजगार मांगकर्ताओं के प्रति देय थे।

- कार्यान्वयन मशीनरी की स्थापना में विशेष रूप से ब्लॉक तथा ग्रा.पं. स्तर पर, पूर्ण कालिक कार्यकम अधिकारी को नियुक्त न करना तथा ग्राम रोजगार सेवकों की नियुक्ति न करना, जैसी कमियाँ पाई गई थीं। श्रमशक्ति की यह अपर्याप्तता, विशेष रूप से ग्रा.पं. स्तर पर, ग्रा.पं. स्तर पर अभिलेखों के अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव था जिसने माँग करने पर 100 दिनों के रोजगार की विधिक गांरटी के अनुपालन को सत्यापित करना कठिन बनाया।

- योजना प्रक्रिया में, विशेष रूप से पाँच वर्षीय जिला परिप्रेक्ष्य योजनाओं (जि.प.यो.) में कमियाँ थीं।

- अधिकतर राज्यों ने जिला-वार दरों की अनुसूची तैयार नहीं की थी तथा लो.नि.वि./ग्रामीण विकास विभाग की दरों की अनुसूची को अपनाया था जो के श्रमिकों जैसे कठिन भू-आकृति वैज्ञानिक स्थिति में कमजोर शरीर महिलाओं की द्वारा कार्य के सात घण्टों की न्यूनतम मजदूरी को आवश्यक रूप से सुनिश्चित नहीं करती।

- वित्तीय प्रबंधन तथा इस पर नजर रखने निहित लेखों के मिलान तथा मासिक संचालित करने में विफलता के महत्वपूर्ण मामलों के साथ प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी निधियों के विपथन एवं दुरूपयोग तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों एवं व्यय ब्यौरों को प्रस्तुत न करने के कई उदाहरण पाए गए थे।

- राज्य, जिले तथा ब्लॉक स्तर पर कार्यों के निरीक्षण की स्थिति खराब थी तथा अधिकतर राज्यों ने राज्य एवं जिला गुणवत्ता मानीटरों को नामित नहीं किया था। कई मामलों में, सामाजिक लेखापरीक्षा अदालते चलाने हेतु वर्ष में दो बार ग्राम सभा भी नहीं की गई थी।

## 2.3 नि.म.ले.प. की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लोक लेखा समिति को सूचित (फरवरी 2011) की गई अभ्युक्तियों/अनुशंसाओं पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सूचित कार्रवाई:

- सभी राज्य सरकारों ने मनरेगा के प्रावधानों के अनुसार राज्य रोजगार गांरटी परिषद (रा.रो.गा.प.) का गठन किया तथा राज्य ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना का निरूपन किया था।

- मंत्रालय ने योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने हेतु उपायों की अनुशंसा के लिए विभिन्न संचालन समूहों का गठन किया। लेखापरीक्षा द्वारा उजागर त्रुटियों को इन संचालन समूहों द्वारा देखा जाए। संचालन समूहों द्वारा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण पर मंत्रालय अनुवर्ती कार्रवाई करेगा तथा जहाँ आवश्यक हो अधिनियम के साथ-साथ संचालन दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन किए जाएंगे।

- भारत सरकार ने मनरेगा को कार्यान्वित करने की वार्षिक लागत के प्रशासनिक व्यय को 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की थी। राज्य सरकारों को बढ़े हुए प्रशासनिक व्यय को उस तरीके से उपयोग करने की भी सलाह दी गई थी कि जिलों की आवश्यकताओं पर प्रतिक्रिया करे तथा जो विद्यमान है उसमें मूल्य वृद्धि करे।

- राज्य सरकारों को आवश्यकता के अनुसार संविदात्मक आधार पर स्टाफ नियुक्त करना अनुमत किया गया है।

- राष्ट्रीय स्तर मानीटरों (रा.स्त.मा.) द्वारा मानीटरिंग हेतु प्रारूप को भी निर्धारित किया गया है तथा इसका विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के अनुसार सभी संबंधित सांविधिक सूचना के अभिग्रहण हेतु नियमित रूप अद्यतन किया जाता है।

- मंत्रालय ने आकाशवाणी के माध्यम से सूचना शिक्षा एवं संचार (सू.शि.सं.) गतिविधियों को सुदृढ़ करने के मामले भी उठाए है।

- अधिनियम के अंतर्गत संचालन समूह न्यूनतम निर्धारित मजदूरी के गैर-भुगतान के मामलों को देखेगा। समूह की अनुशंसाओं की प्राप्ति पर मंत्रालय द्वारा उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे।

- मंत्रालय ने अपर्याप्त स्टाफ का मामलों डाक विभाग (डा.वि.) तथा वित्तीय सेवाएं विभाग (वि.से.वि.) दोनो के साथ उठाया है। योजना आयोग ने डा.वि. को मनरेगा के अंतर्गत कार्यकर्ताओं को मजदूरी के संवितरण से संबंधित कार्य की बढ़ती प्रमात्रा से निपटने हेतु ग्रामीण डाक घरों में स्टाफ नियुक्ति करने सहित अपनी अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु निधियाँ संस्वीकृत की है।

- मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आगम्य क्षेत्रों में, जहाँ डाक घरों एवं बैंकों की पहुँच उपलब्ध नहीं है, व्यवसाय सहसंबंधियों की नियुक्ति को संभावना का अनुवेषण करने हेतु अनुमति प्रदान की है।

- डाक विभाग को प्रति खाता भुगतान के संबंध में यह सूचित किया गया है कि मंत्रालय की पहल के अनुसार वित्त मंत्रालय डाक घर बचत खाते (द्वितीय संशोधित) नियमावली 2008 में बदलाव किए है तथा तदनुसार मनरेगस के कार्यकत्ताओं के एकल/संयुक्त खाता खोलने हेतु कोई जमा अपेक्षित नहीं है।

- कार्य के माप के संबंध में संचालन समूहों की अनुशंसाओं की प्राप्ति पर परिचालन दिशानिर्देशों को संशोधित करने हेतु उपयुक्त उपाय किए जाएंगे।

- मंत्रालय के रा.स्त.मा. प्रभाग को यह सुनिश्चित करने हेतु सलाह दी जाएगी कि राष्ट्र स्तरीय मानीटरों ने उनके दौरो के दौरान ग्रा.पं. द्वारा का.अ. को प्रस्तुत दस्तावेजों सहित कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रगति रिपोर्ट (मा.प्र.रि.) का पुनः से सत्यापन करें।

- सांविधिक प्रावधानों के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा करने को श्रम बजट में रेखांकित प्रक्षेपणों के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां जारी करने से पूर्व एक शर्त के रूप में निर्धारित किया गया है। वित्तीय नियमावली, 2009 भी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय निधियों की निमुर्क्ति हेतु एक शर्त के रूप में सांविधिक प्रावधानों के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा करने को शामिल करेगी।

- मंत्रालय ने राज्य सरकारों/सं.शा.क्षे. को शिकायतों के प्रभावी तथा अविलम्ब रूप से निपटान हेतु लोकपाल कार्यालय की स्थापना के निर्देश भी दिए है। इस संबंध में प्रगति की नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है।

- मंत्रालय ने पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व के भाग के रूप में महात्मा गांधी नरेगा के 61 प्रख्यात नागरिकों को स्वतंत्र मॉनीटरिंग हेतु चयनित किया है।

- राज्यों को एक बार फिर से निर्धारित स्तरों के निरीक्षणों को करने के साथ-साथ जहाँ कहीं सतर्कता मानीटरिंग समिति गठित नहीं है उसे गठित करने की सलाह दी जाएगी।

- इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर मानीटरों को राज्य सरकारों द्वारा निरीक्षण के निर्धारित स्तरों की अनुपालना का पता लगाने को कहा जाएगा।

- मंत्रालय राज्यों/सं.शा.क्ष. में उनके प्रत्युतर की संभावना का अन्वेषण करने हेतु राज्यों में उत्तर एवं अच्छे अभ्यास का अध्ययन करेगा। इन्हें राज्यों के साथ बाँटा जाएगा तथा नरेगा वैबसाईट पर डाला जाएगा।

- मंत्रालय राज्यों के साथ परामर्श से कार्यान्वयन में बड़े विचलनों के कारणों की जाँच करने हेतु समग्र समीक्षा करेगा तथा उपयुक्त शोधक/उपचारी उपाय करेगा।

- मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श से जनाश्री बीमा योजना के लाभों को महात्मा गांधी नरेगा कार्यकर्ताओं तक विस्तरित किया है तथा राज्यों को जनाश्री बीमा योजना के अंतर्गत कार्यकर्ताओं को शामिल करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

- मंत्रालय अनुग्रह राशि को उचित रूप से बढ़ाने तथा महात्मा गांधी नरेगा में आवश्यक संशोधन करने हेतु समिति की अनुशंसाओं की जाँच करेगा।

## 2.4 वर्तमान लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संगठन

समग्र लेखापरीक्षा निष्कर्ष - लेखापरीक्षा मामलों का देशव्यापी परिप्रेक्ष्य से विश्लेषित किया गया है तथा विभिन्न राज्यों में निष्कर्षों पर केवल संक्षिप्त सूचना का सार प्रदान किया गया है। इस भाग में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नानुसार 14 विभिन्न अध्यायों में सूचित किया गया है। इस प्रतिवेदन को अध्याय 1 एवं 2 में संक्षिप्त विंहगावलोकन तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों तक पहुचने हेतु अपनाई गई लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली दी गई है। अध्याय 3 में हमने योजना के योजनागत पहलुओं से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का वर्णन कियाहै। अध्याय 4 में योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण में कमियों का ब्यौरा देता है तथा अध्याय 5 योजना के वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताओं को प्रकट करता है। अध्याय 6 मामलों से संबंधित प्रक्रियाओं तथा जॉब कार्डों के अनुरक्षण में कमियों को उजागर करता है तथा अध्याय 7 रोजगार सृजन उद्देश्यों का चित्रण करता है। अध्याय 8 मनरेगा के अंतर्गत राज्यों द्वारा प्रारम्भ कार्यों के निष्पादन के अंतर्गत हो रही कमियों को बताता है। अध्याय 9 योजना के अभिसरण पहलूओं को शामिल करता है। अध्याय 10 अभिलेखों के अनुरक्षण में कमियों को उजागर करता है तथा अध्याय 11 योजना की मानीटरिंग तथा मूल्यांकन में कमियों को दर्शता है। एक अलग अध्याय (12) नरेगा सॉफ्ट/सू.प्र.प्र. की सू.प्रौ. लेखापरीक्षा से संबंधित निष्कर्षों को समर्पित किया गया है। अध्याय 13 लाभार्थियों के साथ साक्षात्कारों के निष्कर्षों से संबंधित है। अध्याय 14 निपादन लेखापरीक्षा निष्कर्षों को दर्शाता है। राज्य-विशिष्ट विशिष्टताएं अनुबंध-13 में दी गई है। इस भाग में, सभी 28 राज्यों के लिए एक विशेष राज्य और चार सं.शा.क्षे. से संबंधित निष्कर्षों का सार प्रस्तुत किया गया है।

## 2.5 आभार प्रकट

लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा करने के विभिन्न स्तरों पर मंत्रालय, राज्य सरकारों, कार्यान्वयन विभागों तथा उनके अधिकारियों, पंचायती राज अधिकारियों, केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद तथा राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा प्रदान सहयोग तथा सहायता हेतु आभार प्रकट करती है।